फर्द अहकाम 2019/00274

...ालय: सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

प्रभातीलाल बनाम गोपाल

...मा संख्या /वर्ष : 104 /2019

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		को ही बहस माना जाकर वकील प्रतिवादी की वाद पत्र पर अंतिम बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11.2.21 को पेश हो।	
	11.2.21	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील पक्षकार की पूर्व में वाद पत्र पर बहस सुनी गयी थी। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील पक्षकार की वाद पत्र पर बहस सुनने के पश्चात वादी द्वारा वाद को साबित करने में असफल रहने के कारण वादी का वाद खारिज किया गया। विस्तृत निर्णय (निर्णय) अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर, ... जिला जयपुर

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी नीरज कुमार मीणा(आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वाद संख्या 104/2019

प्रभातीलाल पुत्र किस्तूर चन्द (मृतक दौराने दावा)

1/1 राजेन्द्र कुमार
1/2 महेन्द्र कुमार

पुत्रान प्रभातीलाल जाति जैन निवासी गोविन्द भवन बाग बस स्टेण्ड बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1— गोपाल
2— नारायण

पुत्रान रामनाथ जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दनाउकला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 11.02.2021

यह कि पत्रावली माननीय अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 24.06.2005 की पालना में दर्ज रजिस्टर हुई।

इस प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीएक्ट राजस्व वाद यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि ग्राम दनाउकला में भूमि हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.51 हैक्टेयर, जिसके साविक खसरा नम्बर 65/1 रकबा 2 बीधा 1 बिस्वा जिसके साविका खसरा नम्बर 263 रकवा 1 बीधा 4 बिस्वा, 271 रकबा 17 बिस्वा स्थित है। उक्त ग्राम पूर्व में संसारचन्द्र अविनाशचन्द्र जी सैन की जागीर में था और वादी के बाबा नन्दलाल जी को यह जमीन वास्ते काश्त बतायी है तब से यह भूमि वादी के बुजुर्गो तथा अब वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त मौजे का सर्वप्रथम बन्दोबस्त संवत 2005 में हुआ और संवत 2008 में बन्दोबस्त के परचे वितरित किये गये उस समय वादी के परिवार में वादी के ताउ भौरीलाल परिवार के मुखिया थे किन्तु सभी लोग सम्मिलित रूप से काश्त करते थे किन्तु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो ने गलती से भूमि के खातेदारी में महादेव व रामनाथ गणपत का बतौर राहिन व वादी के ताउ श्री भौरीलाल को बतौर मुर्तहिन अंकित कर दिया। महादेव, रामनाथ का उक्त भूमि के कब्जे काश्त से कभी कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा और न उनका कभी कब्जा रहा चूंकि वादी के पूर्वज ही भूमि पर काबिज थे और बतौर कृषक काश्त करते रहे थे और उसमें प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई रूकावट पैदा न किये जाने के फलस्वरूप भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग करते रहे है और उन्हें राहिन मुर्तहिन के इन्द्राज की जानकारी उस समय नहीं हुआ। भौरीलाल के मरने के बाद परिवार के सदस्यों ने उक्त भूमि का बंटवारा होकर भूमि प्रभातीलाल व रतनलाल के हिस्से में आ गई और भौरीलालजी व उनके लडकों की कोई संबंध उनके बाद नहीं रहा और इसी प्रकार का इन्तकाल एकीकरण के समय वादी के पक्ष में कर दिया गया उक्त इन्द्राज के समय ही वादीको राहिन मुर्तहिन के इन्द्राज का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। रतनलाल व वादी में भी आपसी समझौते के आधार पर उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी के खातेदारी में आ गई और उसका नामान्तरकरण भी वादी के पक्ष में खुल गया इस प्रकार वादी भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार हो गया चूंकि बन्दोबस्त में भूमि के खातेदार के खाने में राहिन मुर्तहिन का इन्द्राज होने से एकीकरण विभाग द्वारा इस प्रकार के इन्द्राजों को परिवर्तन करने का अधिकार न

होने से उस प्रकार राहिन मुर्तहिन का इन्द्राज खाना खातेदारी में अंकित कर दिया। वादी को जब उसे एकीकरण विभाग के इन्द्राजात के समय जानकारी मिली तो प्रतिवादीगण को उक्त इन्द्राज को दुरूस्ती कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि वे उक्त इन्द्राजात को सही करा देगे वादी भूमि पर काबिज है और यथावत काश्त कर रहा है और वे उसकी काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही कर रहे है और न करेंगे। अब गांव में कुछ लोगों के बहकावें में आकर प्रतिवादीगण ने अपने हक में हुये राहिन के इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से वादी की बिना जानकारी दिये तहसील बस्सी में अपने बुजुर्गों द्वारा 80–90 वर्ष पूर्व का रहन बताते हुये तहसील द्वारा उसे प्रतिवादी को कब्जा दिलाये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खानदान की अपने नाम रहन का अपने पक्ष में गलत इन्द्राजात का अनुचित लाभ उठाने की गरज से प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया और वे वादी के खातेदारी अधिकारों को भी चुनौती देने लगे और जून सन् 1977 में उन्होने वादी के अधिकारों को अस्वीकार करते हुये इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने से मना कर दिया अतः यह विनाय दावा पैदा होकर वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह अपने हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावें तथा प्रतिवादीगण का नाम बतौर राहिन जो वादी के साथ दर्ज हो गया है उसे दुरूस्त करावे तथा अपने से उत्पन्न तनाह खातेदारी के अधिकारों की घोषणा करावें। प्रतिवादीगण अब वादी के कब्जे में भी अनुचित हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया है तथा उसे शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा डाल रहे है। 29.06.1977 को वर्षा होने पर उन्होने जबरन भूमि को काश्त करने की धमकी भी दी अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना भी आवश्यक हुआ है एवं रिलीफ चाही कि यह कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् अधिकार घोषणा डिग्री किया जावे कि वादी भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा इन्द्राज बहक प्रतिवादी बतौर राहिन बमुकाबले वादी प्रभावहीन है।

यह कि प्रतिवादीगण की ओर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को डिनायल करते हुये जवाब दावा यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया कि वादी के बाबा व उसके बुजुर्गो ने आराजी विवादग्रस्त को कभी काश्त नहीं की न उनके कब्जे में चली आ रही है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिदादीगण काबिज काश्त चले अपने बुजुर्गों से चले आ रहे है। और इस समय भी काबिज है, फसल हाल प्रतिवादीगण स्वयं ने काश्त बो रखी है। आराजी मुतनाजा को बजमाने जागीर से मिन प्रतिवादीगण के पिता एवं बुजुर्ग बहैसियत खातेदार काश्तकार (कृषक) काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के पिता के जीवनकाल मे उनके साथ काश्त करते थे और उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादीगण स्वय काश्त करते चले आ रहे है और राज्य सरकार को लगान जमा करा कर रसीद हासिल करते चले आ रहे है। वादी व वादी के बुजुर्गो ने आराजी मुतनाजा को कभी काश्त नही की न कभी कब्जा रहा न कभी किसी प्रकार का संबंध ही रहा है न है। मिन प्रतिवादीगण की इस समय तैयार करदा फसल खडी हुई है। वादी ने कभी काश्त नहीं की है। वादी का तथा उनके बुजुर्गो का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा काश्त ही नहीं रहा तो बटवारा करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा पैरा नम्बर 5 मे इन्तकाल एकीकरण के समय वादी के पक्ष में कर दिया गया इसका इल्म प्रतिवादीगण को कतई नहीं है इसलिये लाइल्म अस्वीकार है। वादी का आराजी मुतनाजा से कोई किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है न कभी उसका कब्जा ही रहा है न उसने कभी काश्त की है शुरू से मिन प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त बहैसियत कृषक (खातेदार काश्तकार) चला आ रहा है और इस समय भी काबिज काश्त प्रतिवादीगण है। जब आराजी मुतनाजा पर वादी का कभी कब्जा काश्त ही नहीं रहा और न है इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा पाने का कोई अधिकारी नही है। न

उसको कोई विनाय दावा ही पैदा होती है। वादी कोई भी दादरसी पाने का अधिकारी नहीं है। एवं विशेष विवरण में कथन किया कि आराजी वर्णित पैरा नम्बर 1 को प्रतिवादीगण कदीम से काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है इस समय भी तैयार करदा फसल हाल प्रतिवादीगण की तैयार करदा खडी हुई है। वादी का कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है और न है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के पूर्व उनके पिता व बुजुर्गान काश्त करते थे और अब प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादी तथा उसके बुजुर्गो ने आराजी मुतनाजा को कभी काश्त नहीं किया न कभी उनका कब्जा रहा है।न वह इस आराजी मुतनाजा के कभी खातेदार काश्तकार रहे है न उनके बुजुर्गों ने कभी काश्त की। वादी का कोई आराजी मुतनाजा से संबंध नहीं है।प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण अनपढ है, वाद करने से मिन प्रतिवादीगण को इस बात का इल्म हुआ कि इस भूमि का इन्द्राज राहिन व मुर्तहीन दर्ज है जो कतई गलत है सहवन से दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण तो यही समझते आ रहे थे कि आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार है और उन्हें पासबुके मिल चुकी है। प्रतिवादीगण स्वयं इस दुरूस्ती के लिये अदालत मजाज में कार्यवाही करेगे। प्रतिवादीगण स्वयं आराजी मुतनाजा को बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज चले आ रहे है और काबिज है वादी का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है न कभी रहा है। वादी इस इन्द्राज की आड में एवं जमीन मिन प्रतिवादीगण की हडपना एवं छीनना चाहता है इसलिये गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है।

पत्रावली में तनकीयात कायम की गई :–

1– आया भूमि चक नम्बर 65/1 रकबा 2 बीधा 1 बिस्वा वाके ग्राम दनाउकला तहसील बस्सी संसारचन्द एवं अविनाश की जागीर में थी तथा वादी के बाबा नन्दलाल को यह जमीन वास्ते काश्त बतलाई थी। तथा वह भूमि का खातेदार कृषक था।

––जिम्मे वादी

2– आया उक्त भूमि पारिवारिक बंटवारे में वादी के पास आई तथा वह भूमि का खातेदार काश्तकार है ?

––जिम्मे वादी

3– आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

––जिम्मे वादी

4– आया दौराने बन्दोबस्त रामनाथ महादेव गणपत का नाम बतौर राहिन गलत दर्ज हो गया तथा उसका दावे हाजा पर क्या असर है ?

––जिम्मे वादी

5– आया प्रतिवादीगण अपने बाबा के समय से भूमि काश्त कर रहे है तथा वे भूमि के काश्तकार है ?

––जिम्मे प्रतिवादी

6– दादरसी क्या होगी ?

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात :

1– मिलान क्षेत्रफल एकीकरण प्रदर्श पी–1
2– खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श पी–2
3– नामान्तकरण प्रदर्श पी–3

4— खसरा गिरदावरी संवत 2032–33 प्रदर्श पी–4
5— खसरा गिरदावरी संवत 2028–31 प्रदर्श पी–5
6— तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–6
7— बयान प्रदर्श पी–7
8— जमाबन्दी संवत 2027–30 प्रदर्श पी–8

मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से गवाह पी0डब्लू 01 प्रभातीलाल पुत्र किस्तूरचन्द, पी0डब्लू02 सूज्या पुत्र सुन्दर पेश हुये।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात :

1— खसरा गिरदावरी संवत 2020 से 2024 प्रदर्श डी–1
2— जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श डी–2
3— जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 प्रदर्श डी–3
4— जमाबन्दी संवत 2072–75 प्रदर्श ए–1
5— खसरा गिरदावरी संवत 2072 प्रदर्श ए–2
6— मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–3
7— जमाबन्दी खतौनी एकीकरण संवत 2018 प्रदर्श ए–4
8— खतौनी बन्दोबस्त संवत 2008 से 2023 प्रदर्श ए–5
9— खसरा गिरदावरी संवत 2064–67 प्रदर्श ए–6

मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादीगण की ओर से गवाह गोपाललाल पुत्र रामनाथ, बालूराम पुत्र पांचूराम, नारायण पुत्र रामनाथ, लक्ष्मीनारायण पुत्र भौरीलाल, मूलचन्द पुत्र चन्दा, मंगल पुत्र गोविन्दा, रामनिवास पुत्र कल्याण, घासीलाल पुत्र रामराय, ग्यारसीलाल पुत्र बिरधा, जगदीश पुत्र दुर्गालाल, लालूमीणा पुत्र श्री पांचूराम मीणा, हरिनारायण पुत्र गोपीलाल पेश हुये।

यह कि प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हुई – यह कि वादी ने उक्त उनवानी वाद में यह तथ्य कहे है कि संसारचन्द एवं अविनाशचन्द की जागीर में यह प्रश्नगत भूमि थी जबकि वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि संसारचन्द एवं अविनाशचन्द की जागीर में कभी नहीं रही और ना ही वादी के बाबा को उक्त जमीन वास्ते काश्त कभी दी गई, ना ही वादी भूमि का खातेदार रहा है और ना ही इससे संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा पेश की गई है जिससे कि उक्त तथ्य की पुष्टि होती हो। वादी के पूर्वज इस भूमि पर खातेदार रहे हो। इस भूमि पर वादी ने कभी कब्जा काश्त नहीं किया एवं ना ही वादी का उक्त भूमि से कोई लेना देना व सरोकार है इसलिए वादी इस भूमि बाबत् कोई हक व अधिकार कानूनी रूप से नहीं रखता है। भूप्रबन्ध पैमाईश के पूर्व भी वादी के नाम खातेदारी भूमि नहीं थी और ना ही बाद में वादी के नाम खातेदारी के नाम भूमि रही है। पक्षकारान् के बीच कोई कानूनी बंटवारानामा नहीं हुआ है, और ना ही तहसीलदार के द्वारा कोई तस्दीकशुदा बंटवारानामा प्रस्तुत हुआ। तथाकथित नामान्तरकरण दिनांक 19.12.74 का अमल दरामद राजस्व अभिलेख में आज तक नहीं हुआ। प्रश्नगत भूमि पर वादी का कब्जा नहीं होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश विरूद्व प्रतिवादी के पारित नहीं किया जा सकता। रहन से वागुजास्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। प्रतिकूल कब्जा का सिद्वान्त लागू नहीं होता है। प्रतिवादी ने तहसीलदार के समक्ष कोई बयान नहीं दिये। आरटीए धारा 43 के तहत में भी तहसीलदार को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने प्रश्नगत भूमि को

संसारचन्द व अविनाशचन्द सेन की जागीरी की भूमि दर्शित करते हुये अपने बाबा नन्दलाल को काश्त में बताने के आधार पर अपना कब्जा मानते हुये राजस्व वाद प्रस्तुत किया और ताउ भौरीलाल को परिवाद का मुखिया बताया के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं गई है, मात्र वादी के कहने मात्र से जागीरदार की खातेदारी होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तहसील में दिये गये प्रतिवादी के बयानों का विधिक रूप से परीक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त बयानों से प्रभातीलाल ने इन्कार किया है। यह भी है कि राजस्व वाद के निर्णय में पूर्व में दिये गये अन्य मामले में दिये गये बयानों को एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। संवत 2008–2023 तक खातेदार कॉलम में भौरीलाल का नाम मूर्तहीन दर्ज होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उक्त जमीन जागीरदार के द्वारा काश्त करने के लिये बताई गई थी। नामान्तरकरण संख्या 50 जो तकासमा के बाबत है जिससे भी प्रतिवादी ने स्पष्ट इंकार किया है। उक्त बंटवारानामा तहसीलदार के द्वारा तस्दीक नहीं है, को भी विधिक रूप से अंतिम बंटवारा नहीं माना जा सकता, ना ही वादी यह साबित कर पाया है कि दावा दायरी के समय कब्जा वादी का रहा हो। वादी की प्लीडिंग्स एवं साक्ष्स में भी भारी विरोधाभास है। वादी अपने वादपत्र में यह तथ्य अंकित करता है कि भूमि वादग्रस्त अविनाशचन्द ने वादी के बाबा नन्दलाल को काश्त पर बतायी कब किस, दिनांक, किस तिथि एवं किस वर्ष में बताई अपने वादपत्र में कुछ भी अंकित नहीं किया है, तथा ना ही इस संवंध में किसी प्रकार की कोई लिखावट या कब्जे का दस्तावेज ही वादी ने नन्दलाल के नाम का पेश किया है। प्रतिवादी ने स्वयं के साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं दो अन्य गवाह लालूराम मीणा एवं हरिनारायण शर्मा के पेश किया है उन्होने भी कहा है कि प्रभातीलाल/वादी लगभग 28 वर्षो से ग्राम दनाउकला में नहीं रहता है, ना ही वह यहां पर आता जाता है एवं ना ही कभी उसको उक्त सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग करते या काश्त करने देखा गया। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण(गोपाल व नारायण) के पूर्वज काश्त करते थे एवं आज भी प्रतिवादीगण ही काश्त कर रहे है एवं भौतिक कब्जा भी उनका ही है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि लिखित बहस स्वीकार फरमायी जाकर वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद को मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 02.02.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं वादी को बहस के लिये अनेक अवसर प्रदान किये गये लेकिन वादी की ओर से कोई लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए वादी के वादपत्र एवं उसकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को ही बहस मानकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाता है।

तनकी नम्बर 1– आया भूमि चक नम्बर 65/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम दनाउकला तहसील बस्सी संसारचन्द एवं अविनाश की जागीर में थी तथा वादी के बाबा नन्दलाल को यह जमीन वास्ते काश्त बतलाई थी। तथा वह भूमि का खातेदार कृषक था ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को साबित करने के लिये अपने वादपत्र में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि संसारचन्द एवं अविनाश की जागीर की रही हो तथा ना ही वादी की ओर अपने वादपत्र के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे यह साबित होता हो कि वादी के बाबा नन्दलाल को यह जमीन वास्ते काश्त हेतु बतलाई हो एवं वादी की ओर से प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहों से भी जिरह नहीं की गई एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहों ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वादी करीब 28 साल से ग्राम दनाउकला में निवास नहीं कर रहा है इससे यह बखूबी साबित है कि

विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है, ना ही वादी ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जिससे यह साबित हो कि दावा दायरी के दिन वादी का कब्जा काश्त हो एवं ना ही वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित किया कि विवादित भूमि कभी वादी की खातेदारी में दर्ज रही हो उपरोक्त समस्त तथ्यों से उक्त तनकी को वादी अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया इसलिए उक्त तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2–आया उक्त भूमि पारिवारिक बंटवारे में वादी के पास आई तथा वह भूमि का खातेदार काश्तकार है ?

उक्त तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर था। भूप्रबन्ध पैमाईश के पूर्व भी वादी के नाम खातेदारी भूमि नहीं थी और ना ही बाद में वादी के नाम खातेदारी के नाम भूमि रही है एवं पक्षकारान् के बीच कोई कानूनी बंटवारानामा हुआ हो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो वादी ने पेश की एवं ना ही पारिवारिक बंटवारे संबंधी कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की एवं बंटवारानामा तहसीलदार के द्वारा तस्दीक नहीं है, को विधिक रूप से अंतिम बंटवारा नहीं माना जा सकता एवं वादी की ओर से प्रस्तुत नामान्तःकरण दिनांक 19.12.74 का अमल दरामद राजस्व अभिलेख में आज तक नहीं हुआ एवं प्रतिवादीगण ने तकासमें को इन्कार किया है एवं दावा दायरी के समय वादी का कब्जा भूमिवादग्रस्त पर रहा हो, के बाबत् भी पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ना ही वादी की ओर अपने वादपत्र के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे यह साबित होता हो कि वादी के बाबा नन्दलाल को यह जमीन वास्ते काश्त हेतु बतलाई हो, ना ही वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित किया कि विवादित भूमि कभी वादी की खातेदारी में दर्ज रही हो उपरोक्त समस्त तथ्यों से उक्त तनकी को वादी अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया इसलिए उक्त तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी 3– आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी संख्या एक व दो वादी अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया इसलिए उक्त तनकी भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी 4– आया दौराने बन्दोबस्त रामनाथ महादेव गणपत का नाम बतौर राहिन गलत दर्ज हो गया तथा उसका दावे हाजा पर क्या असर है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। बन्दोबस्त से पूर्व उक्त भूमि वादी व उसके पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज रही हो ऐसा वादी ने किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है, ना ही वादी ने ऐसा किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया कि बन्दोबस्त के दौरान सहवन से रामनाथ, महादेव गणपत का नाम बतौर राहिन मुर्तहिन दर्ज हुआ है जबकि प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी साबित किया है कि भूमिवादग्रस्त उनके स्वामित्व एवं खातेदारी की है एवं भूमिवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में मूर्तहीन व मुर्तहीन का इन्द्राज सहवन से दर्ज हुआ है एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य से यह साबित किया है कि भूमिवादग्रस्त पर प्रतिवादीगण एवं उनके पिता व बुजुर्गान काश्त करते चले आ रहे है एवं साक्ष्य से यह भी साबित किया है कि अर्सा दराज से वादी ग्राम दनाउ में निवास ना कर बरसी में निवास करते है एवं ना ही वादी अपने वादपत्र में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि संसारचन्द एवं अविनाश की जागीर की रही हो तथा ना ही वादी की ओर से अपने वादपत्र के

समर्थन मे ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे यह साबित होता हो कि वादी के बाबा नन्दलाल को यह जमीन वास्ते काश्त हेतु बतलाई हो इसलिए उक्त तनकी भी वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी 5— आया प्रतिवादीगण अपने बाबा के समय से भूमि काश्त कर रहे है तथा वे भूमि के काश्तकार है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था एवं प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से यह बखूबी साबित किया है कि प्रतिवादीगण अपने बाबा के समय से भूमि काश्त कर रहे है तथा दस्तावेजी साक्ष्य से भी यह साबित है कि बन्दोबस्त के समय से प्रतिवादीगण भूमिवादग्रस्त के काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत स्वतत्र गवाहों से भी यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के बुजुर्गो की भूमि है, पैतृक भूमि है एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण काबिज है एवं पिछले 28 वर्षो से वादी ग्राम दनाउकलां में नहीं रहता है तथा बस्सी कस्बे में रहता है एवं वादी ने उसके खण्डन में ना तो प्रतिवादीगण के गवाहान से जिरह की, ना ही कब्जे एवं उनकी खातेदारी के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की एवं वादी ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित हो कि दावा दायरी के दिन वादी का कब्जा काश्त हो एवं ना ही वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित किया कि विवादित भूमि कभी वादी की खातेदारी में दर्ज रही हो इसलिए उक्त तनकी वादी के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात का विस्तृत रूप से विवेचन करने व प्रतिवादीगण की लिखित बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन करने पर व पक्षकारों द्वारा दिये गये बयानात के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी अपने वाद को साबित करने में असमर्थ व असफल रहा है। अतः वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.51 हैक्टेयर जिसके साविक खसरा नम्बर 65/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम दनाउकला तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादी द्वारा वाद को साबित करने में असफल रहने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 11.02.2021 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी नीरज कुमार मीणा(आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मु0न0 104 / 2019

प्रभातीलाल पुत्र किस्तूर चन्द (मृतक दौराने दावा)

1/1 राजेन्द्र कुमार | पुत्रान प्रभातीलाल जाति जैन निवासी गोविन्द भवन बाग
1/2 महेन्द्र कुमार | बस स्टेण्ड बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

---वादी

बनाम

1- गोपाल | पुत्रान रामनाथ जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दनाउकला
2- नारायण | तहसील बस्सी जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

दावा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 0.51 हैक्टेयर जिसके साविक खसरा नम्बर 65/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम दनाउकला तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादी द्वारा वाद को साबित करने में असफल रहने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है.........निजी..................मुबलिक.....................बाबत..खर्चा..इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2021 को जारी किया गया।

मोहर

मुददा..............................

दस्तख्त.......[signature].............
सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट-- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

[signature]
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर